संख्या- 5 /2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2020**

विषय:- कोविड 19 के कारण प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किए जाने के संबध में।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने तथा प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में कमी आई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 महामारी की रोकथाम संबंधी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं :-

(1) सभी राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा समस्त स्वशासी संस्थाओं, जिनके वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन एव अन्य वचनबद्ध व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे। होमगार्ड,प्रादेशिक रक्षा दल एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(2) किसी भी प्रकार के एरिअर का भुगतान 30 जून, 2020 के बाद किया जाएगा ।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के समस्त आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के अन्य विभाग जिनके द्वारा कोविड -19 की रोकथाम हेतु कार्य किए जा रहे हैं, द्वारा आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड / विद्युत वितरण निगमों को विद्युत देयों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(6) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों द्वारा देय भवनकर, जलकर का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर 2(9) तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में निर्माण कार्यों से संबन्धित कतिपय अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गए हैं। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में सभी विभागों से संबन्धित अनुदानों के अंतर्गत मानक मद '24-वृहत निर्माण कार्य' तथा मानक मद '60-भूमि क्रय' में प्रावधानित धनराशि के संबंध में वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनांक 30 जून,2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।

(8) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केंद्रान्श की धनराशि से संबन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।

2- ऊपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

<u>संख्या- 5 /2020/बी-1-196 /दस-2020-231/2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in